न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 83/2025 G.C.M.S. No. 2025/470 दर्ज दिनांक :07.08.2025

अपीलार्थी:

देवाराम पुत्र केहराराम जाति घांची निवासी कारोला तहसील सांचौर जिला जालोर

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. प्रतापाराम पुत्र रतनाराम घांची
2. अर्जुनराम पुत्र कुपाराम
3. कानाराम पुत्र छोगाराम
4. गवरी पुत्री रतनाराम
5. जसी पुत्री कुपाराम
6. दरगाराम पुत्र रतनाराम
7. दानाराम पुत्र रतनाराम
8. नेनु देवी रतनाराम के कायम मुकाम
   - 8/1. देवाराम पुत्र जीवाराम
   - 8/2 भंवराराम पुत्र जीवाराम
   - 8/3 अजमल राम पुत्र जीवाराम
   - 8/4. पखु कुमारी पुत्री जीवाराम
   - 8/5 सविता पुत्री जीवाराम
   - 8/6 वर्षा पुत्री जीवाराम
   - 8/7 घेवाराम पुत्र जीवाराम(फौत)
   - 8/7/1 विमला पत्नी घेवाराम
   - 8/7/2 मिनाक्षी पुत्री घेवाराम नाबालिग जरिये माता वली विमला
   - 8/7/3 रूचिका पुत्री घेवाराम नाबालिग जरिये माता वली विमला
   - 8/7/4 विलाश पुत्र घेवाराम नाबालिग जरिये माता वली विमला
9. नाजु देवी पत्नी छोगाराम
10. मोरा पुत्री रतनाराम
11. लीलाराम पुत्र छोगाराम
12. संतीगा पुत्री कुपाराम
13. सुरेखा पुत्री कुपाराम
14. सीता पुत्री छोगाराम
15. हीरालाल पुत्र कुपाराम जातियान् घांची, निवासी कारोला, तहसील सांचौर जिला जालोर

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

16. स्टेट बैंक ऑ इण्डिया शाखा–सांचौर
17. राज्य सरकार जरिये भुमिधारी तहसीलदार सांचौर

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 86/2024 बअनवान प्रतापाराम बनाम अर्जुनराम में पारित आदेश दिनांक 20.11.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार–

1. श्री आसिफ अली, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 86/2024 बअनवान प्रतापाराम बनाम अर्जुनराम वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.11.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने एक दावा बाबत् बंटवाडा व स्थायी निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया तथा उसके साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने मौजा कारोल की वादग्रस्त आराजी के मौका व रेकर्ड की यथास्थिति का आदेश पारित किया। प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दु अपीलांट के पक्ष में है क्योंकि खसरा संख्या 577, 538, 490, 491, 492, 532, 533, 534, 537, 539, 581 पर अपीलांट का भी कब्जा काश्त व रहवासीय ओलीया बना हुआ है तथा अपीलांट ने भी खसरा संख्या 577 व 538 को जुताई व खाद डालकर सिंचाई उसको उपजाउ बनाया है लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या 01 जानबुझकर नहर से लगता नजदिक खसरा व आबादी से लगता नजदिकी खसरा को हथियाने की नियत से अधीनस्थ न्यायालय में गलत रूप से कब्जा काश्त बताया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के स्थगन आदेश से हम अन्य काश्तकारो को उक्त खसरो से आने जाने व नहर के पानी का उपयोग करने से रोक रहा है। बिनाय अपील तब पेदा हुआ जब रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने खसरा संख्या 577 व 538 में से अपीलांट को जाने आने से मना किया तथा नहर के पानी को इस्तेमाल करने से रोका तब अपीलांट द्वारा पूछने बताया कि उक्त खसरे में स्टे ले लिया है तुम अब उक्त खसरो से आना जाना व नहर का पानी का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो तब हमने एस.डी.ओ कोर्ट सांचौर जाकर उक्त प्रकरण से संबधित जानकारी ली तथा अपील खर्चे का इंतजाम करके उक्त अपील अन्दर म्याद पेश की है। अतः अपीलांट की अपील को स्वीकार फरमा कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त व खारिज फरमाए जाने का आदेश पारित करावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेंट संख्या 1 ने अपीलांट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मय एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी के संबंध में प्रस्तुत किया, जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने अपीलाधीन आदेश दिनांक 20.11.2024 को अंतरिम अस्थाई व्यादेश पारित किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई हैं।
2. अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील विलंब के साथ प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश एकपक्षीय पारित किया गया है। अतः आदेश की दिनांक से अपीलांट को जानकारी होने की धारणा नहीं की जा सकती। विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विलंबकाल माफ करते हुए अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र में पारित अस्थाई अंतरिम व्यादेश के विरूद्ध हस्तगत अपील प्रस्तुत की हैं। अधीनस्थ न्यायालय में वादी/ रेस्पोडेन्ट संख्या 01 द्वारा वादग्रस्त अविभाजित सहखातेदारी आराजीयात के बंटवाड़ा व स्थायी निषेधाज्ञा के वादपत्र के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। वादपत्र के गुणावगुण पर इस स्तर पर कोई टिप्पणी किए बिना हमारे विनम्र मत में यह स्वीकृत विधिक स्थिति है कि उभयपक्षकारान वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदारान है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट सहित प्रतिवादीगण को सुने बिना एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई व्यादेश पारित करते हुए अप्रार्थीगण को पाबंद किया गया है हमारे विनम्र मत में चुंकि अपीलांट सहित अप्रार्थीगण अभिलिखित सहखातेदार है अतः ऐसी स्थिति में केवल प्रार्थी को छोड़ते हुए अप्रार्थीगण को अंतरिम अस्थाई व्यादेश से पाबंद किया जाना विधिसम्मत व उचित नहीं माना जा सकता। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश काबिल हस्तक्षेप व अपास्त योग्य है।
4. चुकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र का गुणावगुण के आधार पर अंतिम विनिश्चय नहीं किया गया है तथा इस स्तर पर प्रार्थना पत्र का अंतिम विनिश्चय अपेक्षित नहीं हैं। अतः अपील अपीलांट स्वीकार करते हुए अपीलाधीन आदेश अपास्त किया जाकर विचारण न्यायालय को विचाराधीन स्थगन प्रार्थना पत्र 60 दिवस के भीतर गुणावगुण के आधार पर विधिनुरूप अंतिम रूप से निर्णित किए जाने बाबत् निर्देशित किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित होने व सारवान होने से स्वीकार की जाती है तथा सहायक कलक्टर सांचौर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 86/2024 बअनवान प्रतापाराम बनाम अर्जुनराम

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

वगैरह में पारित आदेश दिनांक 20.11.2024 को अपास्त करते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विचाराधीन स्थगन प्रार्थना पत्र 60 दिवस के भीतर विधिनुरूप निर्णित करें। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सुरे-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली